न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी अरविन्द कुमार जाखड़ आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 30 / 2022 / बाड़मेर

अपीलांट		रेस्पोडेंटगण
1. श्रीमती चतरूदेवी धर्मपत्नी स्व. जुगताराम उम्र 70 वर्ष 2. मोबताराम पुत्र स्व श्री जुगताराम उम्र 48 वर्ष 3. धानाराम पुत्र स्व. श्री जुगताराम उम्र 44 वर्ष जाति जाट निवासी जालीपा आगोर तहसील व जिला बाड़मेर	बनाम	1.पुरखाराम पुत्र आदाराम 2.रेखाराम पुत्र आदाराम 3.कानाराम पुत्र सुखाराम 4.पेमाराम पुत्र सुखाराम 5.वीरमाराम पुत्र सुखाराम 6.ताजाराम पुत्र सुखाराम 7.मेहाराम पुत्र रासिंगाराम 8.मालाराम पुत्र रासिंगाराम 9.श्रीमती आसुदेवी पत्नी श्री मालाराम उम्र 42 वर्ष जाति जाट निवासी जालीपा आगोर तहसील व जिला बाड़मेर 10.राजस्थान सरकार माईन्स एण्ड मिनरल लि. रिको एरिया पंजाब नेशनल बैंक के पास बाड़मेर (जालीपा लिग्नाई प्रयोजनार्थ हेतु खान एवं खनिज विभाग) 11.श्रीमान तहसीलदार बाड़मेर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर बाड़मेर द्वारा राजस्व वाद संख्या 52/2014 बअनवान पुरखाराम बनाम रेखाराम वगै. में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.02.2022 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री मुकेश जैन अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री विष्णु चौधरी रेस्पोडेंट संख्या 01 की ओर से।
3. वकील श्री अलसाराम कुमावत रेस्पोडेंट संख्या 10 की ओर से।

निर्णय

दिनांकः— 22.04.2022

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या 01 ने अपीलांट के पिता स्व. जुगताराम एवं अन्य के विरूद्ध अधीनस्थ अदालत में अन्तर्गत धारा 53, 188 रा.का.अधि. के तहत इस आशय का वाद प्रस्तुत किया था मौजा जालीपा आगोर पटवार क्षेत्र चूली तहसील बाड़मेर में स्थित खसरा संख्या 53 रकबा 0.06 बीघा, खसरा संख्या 54 रकबा 0.16 बीघा, खसरा संख्या 55 रकबा 0.4 बीघा, किस्म

राजस्व अपील अधिकारी
बाड़मेर

गै.मु. ढाणी कुल रकबा 1.13 बीघा भूमि एवं खसरा संख्या 262/56 रकबा 212.12 बीघा भूमि आई हुई है जिसमें से खसरा संख्या 262/56 रकबा 212.12 बीघा भूमि में से रकबा 68.05 बीघा भूमि जरिये भूमि अवाप्ति द्वारा रेस्पोडेंट/प्रतिवादी संख्या 10 राजस्थान सरकार माईन्स एण्ड मिनरल लि. बाड़मेर द्वारा खसरा संख्या 327/56 द्वारा दी गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हस्तगत प्रकरण में दस्तावेजात पर गौर किये बिना अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की गई।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया। तीनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री मृत पक्षकार के विरूद्ध पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपीलांटगण की अनुपस्थिति में एकपक्षीय रूप से पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रारम्भिक डिक्री की पालना में तहसीलदार बाड़मेर को विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु अधिकृत किया गया था परन्तु तहसीलदार बाड़मेर द्वारा वादग्रस्त खेतों पर जाये बिना पटवारी हल्का व आर आई के मार्फत उक्त विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु निर्देशित किया जिस पर पटवारी हल्का द्वारा उतरदाता/वादीगण के प्रभाव में आकर कब्जा काश्त के विपरीत विभाजन प्रस्ताव तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को विभाजन प्रस्ताव पर अपनी आपतियां पेश करने देने का अवसर दिये बिना ही एकतरफा रूप से अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई। अपीलांटगण को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अपीलांट को सुने बिना निर्णय पारित किया गया है। राजस्थान टिनेन्सी (राजस्व मण्डल) 1955 के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई है तथा तहसीलदार बाड़मेर द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में पेश विभाजन प्रस्ताव मौके के प्रतिकूल बनाकर अधीनस्थ न्यायाल में पेश किया गया। यह बंटवारा By Metes & Bound सिद्धांत के आधार पर नहीं किया गया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने अपनी बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जिस विभाजन प्रस्तवा के आधार अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है विधि

राजस्व अपील अधिकारी
बाड़मेर

सम्मत है जिसमें किसी तरह की कमी नहीं है क्योंकि पक्षकारों की सहमति से हल्का पटवारी व आर. आई. मौके पर पक्षकारान के कब्जा काश्त के अनुसार उभयपक्षकारान के संयुक्त विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया है जो विभाजन प्रस्ताव मौके पर पक्षकारान के कब्जा काश्त अनुसार सही है। अपीलांट द्वारा उत्तरदाता को नाहक तंग व परेशान करने की नियत से गलत रूप से अपील पेश की गई है जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने वादग्रस्त भूमि की सही विधिवत हिस्से अनुसार घोषणा कर बंटवाड़ा किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय By Metes & Bounds सिद्धांत के आधार पर पारित किया गया है और सहखातेदारों के मध्य विभाजन बराबर-बराबर किया गया है। किसी का हिस्सा कम-ज्यादा नहीं किया गया इसलिए अपीलांट की अपील खारिज फरमायी जावे।

पत्रावली का अवलोकन व अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री प्रतिवादी संख्या 06 व 09 मृत पक्षकार के विरुद्ध पारित किया गया जिसका उल्लेख विभाजन प्रस्ताव में भी आया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादी संख्या 06 व 09 के कायम मुकाम को रिकॉर्ड पर लिये बिना अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हस्तगत वाद में एकपक्षीय निर्णय व डिक्री पारित की गई जो विधि की मंशा के विरुद्ध है। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री एकपक्षीय पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक डिक्री दिनांक 18.03.2021 की पालना में प्राप्त विभाजन प्रस्ताव तैयार करते वक्त राजस्थान टिनेन्सी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 20 से 21 की पालना नहीं की गई है तथा मौका रिपोर्ट का मजमून ही साबित कर देता है कि तहसीलदार स्वयं द्वारा मौका मुआयना नहीं किया गया है तहसीलदार को बंटवारे के मामले में स्वयं मौका देखना चाहिए। बंटवारा By Metes & Bounds सिद्धांत के आधार पर नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित एवं साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय एकपक्षीय पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के खिलाफ है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील रिमाण्ड करने योग्य है।

लिहाजा अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बाड़मेर द्वारा राजस्व वाद संख्या 52/2014 बअनवान पुरखाराम बनाम रेखाराम वगै. में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.02.2022 को अपास्त किया जाकर मामला अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि

राजस्व अपील अधिकारी
बाड़मेर

अपीलांटगण को साक्ष्य सबूत पेश करने का मौका दिया जाकर तहसीलदार स्तर से मौका दिखवाकर नियमानुसार वाई मिटर एवं वार्डवार विभाजन प्रस्ताव प्राप्त कर गुणावगुण पर विधि सम्मत निर्णय पारित करे। अधीनस्थ न्यायालय हस्तगत वाद का निर्णय अधिकतम तीन माह में पारित करे। उभयपक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 17.06.2022 को उपस्थित हो।

(अरविन्द कुमार जाखड़)
राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

यह आदेश आज दिनांक 22.04.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर